विस्तृत विज्ञापन

	राजस्थ	ान उच्च न्यायालय, जोधपुर
विज्ञा	पन सं.ः रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ /	अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक: 18/01/2025
1.	परीक्षा का नाम	जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक ग्रेड—II (हिन्दी) के रिक्त पदों पर सीधी मर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025
2.	भर्ती प्रक्रिया के नियम	राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) [Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended)
3.	पदनाम	राजस्थान के जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक ग्रेड—II
4.	परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन	चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 23,700/-(fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे।
5.	परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन	पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे—स्केल रू. 33,800—1,06,700/—
6.	ऑनलॉईन आवेदन करने की प्रक्रिया	 ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा—िनर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाईट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा—िनर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रह कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और/या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रह कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी रवयं आवेदक की होगी।
7.		दिनांक 23.01.2025 (बृहस्पतिवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 22.02.2025 (शनिवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	दिनांक 23.01.2025 (बृहस्पतिवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 23.02.2025 (रविवार) को सायं 05.00 बजे तक।
		cation) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के
	पश्चात् पोर्टल का लिंक निष्क्रियः	हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की

18:01.2028

अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्घारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क / नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की परीक्षा का स्थान 8. संभावना है। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा शुल्क (Examination Fee):-9. राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग दिव्यांगजन/राजस्थान राज्य सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/आर्थिक रूप से /अनुसूचित जनजाति श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदक / भूतपूर्व सैनिक रूपये 750 / **–** रूपये 600/-रूपये ४५०/-नोट- परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता । 10. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सिहत) में आशुलिपिक ग्रेड—II (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या निम्न संलग्नकानुसार है :--A. जिला न्यायालयों हेतु आशुलिपिक ग्रेड-III (हिन्दी) :-i. गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) संलग्नक — 1 ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) संलग्नक — 2 B. जिला न्यायालयों हेतु आशुलिपिक ग्रेड-III (अंग्रेजी) :--गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) i. संलग्नक - 3 अनुसूचित क्षेत्र ii. (TSP Area) संलग्नक - 4 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु आशुलिपिक ग्रेड—॥ (हिन्दी) :— गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) संलग्नक — 5 अनुसूचित क्षेत्र ii. (TSP Area) संलग्नक - 6 नोट:-

- उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा (i) सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय, अतिरिंक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर, (ii) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत से अनिधक, उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकेगा।
- (iii) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार आरक्षित सूची (Reserve List) भी तैयार की जा सकेगी।

11. अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में :--

- i. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।
- ii. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।
- iii. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।
- iv. अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।
- v. ''अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो
 - (क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;
 - (ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता—पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या
 - (ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

12. विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:--

- i. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न—विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।
- ii. भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज (Horizontal against categorywise vacancies) रूप से होगा।
- iii. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।
- iv. क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जाएगा।
- v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विद्धिन्न विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा।
- vi. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- vii. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक, सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- viii. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

18:01:2028

13. विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में :--

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:— अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। परन्तु उक्त तीन वर्ष की अविध में, यदि अभ्यर्थी के क्रीमीलेयर में होने का कोई प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को वैध नहीं माना जाएगा।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.02.2025 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 23.02.2024 से 22.02.2025 की समयाविध में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 23.02.2022 से 22.02.2024 की समयाविध में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र, एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर दिनांक 23.02.2022 से 22.02. 2024 की समयाविध में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

- ii. दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध प्रमाण--पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:— राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वित्तिय वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वित्तिय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वित्तिय वर्ष के लिये किया जा सकता है।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.02.2025 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 01.04.2024 से 22.02.2025 की समयाविध में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 की समयाविध में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 की समयाविध में जारी उक्त प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

- iv. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र पेश करने पर कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जारी प्रमाण—पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।
- v. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने

- हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- vi. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- vii. विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- viii. विच्छिन्न विवाह महिला (Divorced Woman) श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाह—विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- ix. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यदि आवेदक का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लिम्बत है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- x. विधवा / विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विधवा / विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. महत्त्वपूर्ण नोट (Important Notes):-

xi. जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (स्थाई लोक अदालत सिहत) की रिक्तियों के विरूद्ध सफल अभ्यर्थियों की, चयन हेतु अनुशंसा, अभ्यर्थियों द्वारा शीघ्रिलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा (गित एवं दक्षता परीक्षा) में अर्जित कुल प्राप्तांकों (Total Aggregate Marks) के आधार पर संस्थानुसार (Institute-wise), निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जायेगी:

प्रथम वरीयता :- जिला न्यायालय।

द्वितीय वरीयता :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (स्थाई लोक अदालत सहित)

- xii. अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- iii. गैर—अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- iv. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- xv. प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- vi. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- vii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी होने के विकल्प का स्पष्ट रूप से चयन करें।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को अनिवार्य रूप से प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात् किन्हीं अन्य चार गैर—अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर—अनुसूचित क्षेत्र में चयन / नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।



- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन
 नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं कर सकेंगे।

15. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):-

A candidate for direct recruitment:

- must have passed the Senior Secondary Examination in Arts or Science or Commerce of the Rajasthan Board of Secondary Education or an Examination equivalent thereto recognized by the Government or any Higher Examination and;
- must possess a good working knowledge of Hindi as written in Devanagri script & of Rajasthani Dialects and;
- 3. must have passed :-

"O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India;

10

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation & Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State council of Vocational Training Scheme;

or

Diploma in Computer Science/ Computer Application from any university established by Law in India or from an institution recognized by the Government;

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government;

or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited;

or

Senior Secondary School Examination with Computer Science as an optional subject;

or

Any equivalent or higher qualification.

16. शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness) :--

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित

1801.202

किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. <u>राष्ट्रीयता (Nationality)</u>:--

सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह

- (क) भारत का नागरिक हो (A citizen of India), या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो (A subject of Nepal), या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो (A subject of Bhutan) :

परन्तुक प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया है।

18. <u>आय् (Age)</u>:-

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on **01.01.2026**. PROVIDED that:

- (i) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or More Backward Classes or Economically Weaker Sections.
- (ii) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of women candidates.
- (iii) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.
- (iv) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. In the case of **Cadet instructors** and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than 3 years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (v) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (vi) that in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before conviction and was eligible for appointment under the Rules.
- (vii) there shall be no age limit in the case of widows and divorcee women.
- (viii) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
- (ix) the upper age limit shall be relaxed by 15 years in case of the Ex-Servicemen. Provided that in case, permissible age after such relaxation of 15 years work out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

- (x) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the Persons with Benchmark Disabilities. Such age relaxation shall be in addition to the age relaxation already provided to different categories in Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended).
 - नोट अंतिम बार जिला न्यायालयों में आश्लिपिक ग्रेड-III एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई

लोक अदालतों सिहत) में आशुलिपिक ग्रेंड—II के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2023 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसमें आयु सीमा की गणना 01.01.2024 के आधार पर की गई थी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2026 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2025 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे भी इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र है।

19. <u>चरित्र (Character)</u> :-

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:--

- (i) एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं
- (ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण—पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।

20. नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for Appointment):-

- (1) No male candidate who has more than one wife living shall be eligible for appointment to the Service unless Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.
- (2) No female candidate who is married to a person having already a wife living shall be eligible for appointment to the service unless Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.
- (3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.
- (4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children.

Provided that:

- i The candidate having more than two children on the date of commencement of Rules of 1986 shall not be deemed to be disqualified.
- ii Where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- iii While counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- iv Any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

Explanation : For above purposes, child born within 280 days from the date of commencement of the Rules of 1986 shall not constitute disqualification.

नोट:— अभ्यर्थी के चयन हेतु पात्रता के लिए, दो से अधिक सन्तान होने की दशा में निर्योग्यता के नियम के प्रयोज्य होने की तिथि दिनांक 06.07.2010 समझी जावेगी।

21. परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):--

(I) Competitive Examination for the posts of Stenographers Grade-III/Stenographers Grade-III shall consist of the subject given in two alternative **Groups A** and **B**. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass **Group C** compulsorily: -

Group - A

English Shorthand Test:

S.No.	Paper	Duration	Speed of dictation	Marks
1	Dictation of passage	6 Minutes	80 words per minute	
2	Transcription and typing of Dictated passage in English on Computer.	50 Minutes	******	100

Group -- B

Hindi Shorthand Test:

S.No.	Paper	Duration	Speed of dictation	Marks
1	Dictation of passage	6 Minutes	70 words per minute	
2	Transcription and typing of Dictated passage in Hindi on Computer.	50 Minutes		100

Group - C

Computer Test:

S.No.	Paper	Duration	Marks	Minimum Marks for SC/ST,PH & EX-S	Minimum Marks for all others
1	Speed Test	10 Minutes	50	20	22.5
2	Efficiency Test	10 Minutes	50	20	22.5

साक्षात्कार (INTERVIEW)

साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं हैं। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 22 के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार के अध्यधीन होगा।

(2) आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Stenography Test) :-

- i. Before dictating the final Shorthand passage to the candidates, a trial passage containing 200-250 words shall be dictated at the same speed at which the final passage is intended to be dictated. The trial passage need not be transcribed and will not be taken into account while marking.
- ii. After a lapse of two three minutes, of the dictation of trial passage, the final passage shall be dictated by the same person keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be.
- iii. After the final passage is dictated, five minutes time should be allowed to the candidates for reading the dictated passage.

- iv. The candidates shall be required to transcribe the passage on Computer.
- (3) गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Speed & Efficiency Test)
 - i. The language of Speed & Efficiency Test shall be same as the language of Shorthand Test.
 - ii. The font for Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "Calibri" for English.
 - iii. Minimum Speed should be 8000 key depressions per hour on computer.
- iv. Efficiency Test may be taken on word processing software. It shall include formatting of Test, Paragraph, Page & Table using proper methods and formatting of letters.

(4) मूल्यांकन की विधि (Method of Evaluation):-

- (1) The mistakes shall be counted as full or partial mistakes, as the case may be:-
 - (a) The following should be counted as full mistakes:-
 - (1) Omission of words or figure.
 - (2) Substitution of wrong word or figure.
 - (3) Misspelling.
 - (4) Two partial mistakes will be equal to one full mistake.
 - (b) The following should be counted as partial mistakes:-
 - (1) Error or Omission in punctuation.
 - (2) Wrong use of capital or small letters.
 - (3) Wrong indentation of paragraph.
- (2) The margin of 5% mistakes may be allowed. If the mistakes/omissions are more than 5% of the dictated passage, the excess number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number or words dictated and the speed will be calculated.
- (3) Assessment of speed and awarding of marks for Shorthand Test, following formula shall be adopted:-

Actual Correct Words = Total dictated words — actual committed mistakes.

Notes:-

- (i) Merit list of successful candidates for selection shall be prepared on the basis of Total Aggregate Marks obtained in Shorthand Test and Computer Test (Speed Test & Efficiency Test).
- (ii) The successful candidates shall be eligible for appearing in the Interview, subject to the extent of total number of vacancies in order of merit.
- (iii) The general suitability for service of the candidates securing equal total aggregate marks in Shorthand Test and Computer Test (Speed Test & Efficiency Test) shall firstly be

determined on the basis of higher marks obtained in the Shorthand Test and in case, the candidates secure equal marks even in Shorthand Test, the merit shall be determined having regard to age i.e. the candidate, elder in age shall be given higher place in merit.

22. आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):--

- 1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी।
- 2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना—पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।
- 5. आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान—पत्र (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन—पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो तथा परीक्षा के समय भी वही मूल फोटोग्रुक्त पहचान—पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।

23. प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) User Name एवं (ii) Password एवं (iii) Captcha Code के आधार पर अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से Download कर सकेंगे।

24. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate):-

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमित प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमित नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

25. अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):-

- 1. ''राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006'', के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अविध में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।
- 2. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज / प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim)

18:01:2025

- करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- 3. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
- 4. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।
- 5. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा—कक्ष/परीक्षा—केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), पर्स, धारदार/नुकीली वस्तु या कोई हथियार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय की नहीं होगी।
- 6. परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।
- 7. परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 8. ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश—पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रह की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- 9. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड–बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा।
- 10. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा।
- 11. पेन्शन नियमानुसार देय होगी।
- 26. अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means):— कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी /भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जाएगा—

18.01/2028

- (a) नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा
- (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से
- 27. अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means):—परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
- 28. संयाचना (Canvassing):—नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहिंत कर सकेगा।
- 29. <u>हैल्प लाईन (Help Line)</u> :—

ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।

30. वेबसाईट (Website):--

राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in
नोट:— उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रिजस्ट्रार (परीक्षा),
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा
ई—मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

(संलग्नक – 1)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas) (Stenographer-III (Hindi) in District Court)

गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला—न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

							``		_						_	_	_		-	_									_		_		_			-				400						00000		
		TOTAL	U	NRE	SER	VED		C-a-l			EW:	S		Take				Tribe		tai		SC	_	_	Total	_	_	ST			Total			OBC		_ T	otal	_	ľ	VIBC		-	Total		IZONTAL		ATION	
S.NO.	NAME OF	VACAN			l l		Ex-	Total	EV	/	1		Ex-	Tota	Sa			_ E	- Sal	ar SC	: _		١.	Ex-	Total	ST	_			Ex-		000	-		_ [Ex-		NADE	اءا	,,		Ex-			Pw	vBD		Total
	JUDGESHIP	CIES	UR	F	W	D	Ser	Gen	S	F	W	D	Ser	EW:	h.	F	w	D	er i	ar SC		W	D	Ex- Ser	SC		-	w	ן ט	Ex- Ser	ST	ОВС	-	W	والا	Ex- Ser	JBC	MBC	-	00	D	Ser	MBC	B/LV	р/нн	LD	AUT/ MD	
1	ALWAR	6	4	1	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	+	+	Н	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BALOTRA	8	3	0	0	0	0	2	0	10		+-	+	0		+	Н	_		1	0	-	0	0	1	1	0	0	0	Ð	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			2	1	0	0	0	-3-	0			+-	+	0	1	0	Λ	0 0	1	0	0	+-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	n	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARAN	4	2	1		-	-	3	_	-	+-	+	-			10	"	~ ·		0	-	+	0	0	0	0	0	0	0	0	^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BHARATPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	+-	+-	-	0	-	-	Н	-	-	- 0	0	-	+ ·	-		1	0	0	1	0	3	0	0	-	0	0		_	0	0	0	0		0	0	10	0	0
5	BHILWARA	2	0	0	0	0	0	0	0	-	1 -	+	-	0	4	-	Н	-	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	1	U		U	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	-	_	10	-	
6	CHITTORGARH	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	_	_	Ш	_		0	0	+-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CHURU	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DAUSA	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DHOLPUR	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	HANUMANGARH	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	JAIPUR METRO-I	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	JAIPUR DISTRICT	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JAISALMER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JALORE	12	3	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1						2	. 0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	JHALAWAR	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JHUNJHUNU	7	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JODHPUR METRO	11	7	2	1	0	0	10	0	C	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KARAULI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		T				1	. 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	KOTA	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	MERTA	1	1	0	0	0	0	1	0	C	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PALI	10	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1						1	. 0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	RAJSAMAND	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SAWAI MADHOPUR	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	SRI GANGANAGAR	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TONK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						1	. 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	UDAIPUR	9	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0						0	1	. 0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	110	51	9	1	0	1	62	2	-0	0	0	0	2	1	0	0	0 (1.	2 1	0	0	0	13	12	2	0	1	0	15	12	0	3	0	0	15	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	2



(संलग्नक - 2)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) (Stenographer Grade-III (Hindi) in District Court)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला—न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

				UNF	RES	ERV	ED	-	Tot			EWS	5		Tot			SC						ST						ВС						MBC	:		Tot	HOR	IZONTA	L RESEF	RVATION	
S.NO.	NAME OF	TOTAL							- 4	EW				Ex-	al	sc				Ex-	Tot	ST				Ex-	Tot					Ev.	Total	МВ				Ex-	al		P۱	wBD		Total
3.140.	JUDGESHIP	CIES	UR	F	V	V [ו מ		Ge n	\$	F	W	D	Ser	EW		F	w	D		SC		F	W	DΙ	-	ST	OBC	F	W	- D	Ser	OBC	С	F	W	ט	Ser	C	B/LV	р/нн	LD	AUT/M D	
1	PRATAPGARH	1	1	0	10	0 (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BANSWARA	5	1	1	1	0 (0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	5	2	1	1	0 (0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	11	4	2	1	0 0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट:- निम्न पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द-रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुछ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बिधर-अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा यर्ग)

EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

Ex Ser - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

(संलग्नक - 3)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas) (Stenographer-III (English) in District Court)

गैर अनुसूचित क्षेत्र — जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड—III (अंग्रेजी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला—न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

		TOTAL		ŲN	RESI	ERVE	ED					WS						SC						ST					С	ВС						лвс	s = 76				ZONTAL	RESER	VATION	
s.NO.	NAME OF	VACAN		T		Т	Τ,	Ev.	Total	EWS		T		Ex-	Total	sc				Ex-	Total	ST				Ex-	Total				_ [:v.	Total					Fy.	Total		Pw	/BD		Total
3.140,	JUDGESHIP	CIES	UR	F	V	V [Ser	Gen		F	W	D	Ser	EWS		F	W	D	Ser	SC		F	W	D	Ser	ST	OBC	F	W	D	er	OBC	MBC	F	W	D	Ser	MBC	B/LV	D/HH	LD	AUT/ MD	
1	ALWAR	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BARAN	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BUNDI	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CHITTORGARH	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	JAIPUR METRO-I	2	2	C) () (0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JALORE	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UDAIPUR	1	1	C) () (0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8	8	0) () (0 1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(संलग्नक - 4)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) (Stenographer Grade-III (English) in District Court)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (अंग्रेजी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

				UNF	RESE	RVE	D			E	ws						SC						ST					C	BC					N	ивс				HORIZ	ZONTAL	RESER	VATION	
CNO	NAME OF	TOTAL		Τ			1.	Total	EWS				F.,	Total	sc				Ex-	Total	ST		Ì		Ex-	Total					Ev.	Total					Ex-	Total		Pw	BD		Total
S.NO.	JUDGESHIP	CIES	UR	F	W	D	Ser	Gen	LVVJ	F	w	D	Ex- Ser	EWS	30	F	W	D	Ser Ser	SC]	F	W	D	Ser	ST	ОВС	F	W	D 1	Ser	OBC	MBC	F	w	D	Ser	MBC		D/HH	LD	AUT/ MD	
1	PRATAPGARH	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BANSWARA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(संलग्नक - 5)

गैर-अनुसूचित क्षेत्र - जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

-				UNF	RESE	RVE	D				EWS						SC						ST					0	вС					MBC	:			HOR	ZONTAL	RESER	VATION	
s.no.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES (DLSA+PLA)	UR	F	w	D	Ex- Ser	Tota Gen	F1440	F	w	D	Ex- Ser	Total	sc	F	w	D	Ex- Ser	Total SC	ST	F	w	\mathbf{n}	Fv.	Fotal ST	овс	F	w	D Se	000	MB	F	w	D	Ex- Ser	Total MBC	B/L\	Pw D/HF	BD LD	AUT/	Total
1	BHILWARA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DHOLPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JHALAWAR	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SIROHI	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UDAIPUR	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(संलग्नक - 6

अनुसूचित क्षेत्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक ग्रेड—II (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला—न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF	TOTAL VACANCIE		UNRESERVED Ex		D Ex-	Total	EMIC	EW	/S	T	Ex-	Total	cc	SC	=	Ex	Total		ST	Т	E	x- To			ОВС		Ex	Total		ME			EX-I	Total	-	ZONTAL Pw	RESERV	ATION	Total	
5	JUDGESHIP	S (DLSA+ PLA)	UR	F	w	D	Ser	Gen	EWS	F	w	D	Ser	EWS	sc	F	W	D Se	SC	ST	F	w	D S	er S	1	ОВС	F	w	D Se	ОВС	МВС	F	W	D	Ser	MBC	B/L V	D/H H	I LD I	AUT /MD	
1	PRATAPGARH	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 (0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BANSWARA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 (0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DUNGARPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0)	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट:- निम्न पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त सक्षिप्त शब्द-रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

PwBD - Persons with Benchmark Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, टीक किया गया कुछ, बौनापन, अस्त हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर—अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

Ex Ser - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

k

INSTRUCTIONS FOR FILLING ONLINE APPLICATION

Stenographer for District Courts and DLSA's, 2025 (Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986)

GENERAL INSTRUCTIONS:

- 1. Applicants are advised to check their eligibility before proceeding to fill online application.
- 2. Applicants are advised to take print out of format of application form annexed to these instructions and fill & check the entries to be made by them before proceeding to fill online application to avoid any mistake in online application.
- 3. Applicants are required to apply only through Online Mode. No other means/mode for submission of application will be accepted. The link to fill up online application will remain active upto 05:00 PM of the last date fixed for submission of the online application. Applicants are advised to fill up the online application well in advance, without waiting for the last date, to avoid the last minute hassle.
- Before filling up the online application, the applicants are advised to go through the instructions and detailed advertisement carefully, which are available at the link http://www.hcraj.nic.in / "Recruitment" / "Stenographers for District Courts and DLSAs 2025)"
- 5. Link "Instructions for Filling Online Application" is available on the "latest updates" link available at http://www.hcraj.nic.in
- 6. Applicants are advised to fill details in online form correctly and to check his filled in online application form and then proceed for Payment. After submission of application form with the requisite fee, details cannot be changed.
- 7. Applicants are advised to keep all relevant documents (Educational Certificates etc.), Scanned Photograph, Scanned Signature etc, ready before starting with the form filling process.
- 8. Spaces (fields) in online application are of two types: One, in which the applicant can enter the information manually, and other, in which the applicant can select one of the options. (Selective fields are of three types some fields are to be selected from Dropdown Menu, some are to be selected by clicking on the Radio Button and calendar for selecting Year, Month & Day one by one).
- 9. Instructions for Photo / Signature and Photo ID Proof Scanning
 - 1. Scan your signature, latest passport size photograph and photo ID (Front and Back) having latest photo.
 - 2. Save the scanned signature & passport size photograph as JPG/JPEG files with size between 10 KB 25 KB each.
 - **3.** Save the scanned Photo ID proof (Front and Back) as JPG/JPEG files with size between 10 KB 50 KB each.
 - **4.** Photograph and Signature Images should be properly cropped and must have white background.
 - 5. **DO NOT LEAVE** empty spaces around photo or signature.
- 10. Fields marked with (*), means these fields are to be filled-in mandatorily.
- 11. Do Not Press F5 or Browser refresh button during the process of filling up online application.
- 12. Applicants are advised not to fill online application form simultaneously in Multiple Tabs of the Browser and in Multiple Browsers.
- 13. The time of each session to fill online application is limited, therefore, applicants are advised to regularly check the remaining time displayed on the top of page while filling the online application, otherwise they will have to fill the application afresh.
- 14. The applicants are advised to check the details filled in and satisfy themselves that all information has been correctly filled up. If applicant finds all information correct and he/she is in agreement with declaration, may click on 'SAVE & MAKE PAYMENT' button at the bottom of this page.

"No change in the filled-in information by the applicant would be allowed after clicking on 'SAVE & MAKE PAYMENT' button in any case."

- 15. Click on "Save & Make Payment" button at bottom of the page for final submission of online application form and for the payment of the requisite fee.
- 16. Applicants are advised to download the pdf file by clicking the "Print Form" button after successful submission of requisite fee. You are also advised to save this pdf file and take the print out of filled online application form.
- 17. If the Online Application Form is not submitted successfully then the Applicant will not be able to take Printout of Online Application form.
- 18. APPLICANTS ARE DIRECTED **NOT TO SEND** PRINT OUT OF ONLINE APPLICATION OR ANY DOCUMENT TO THE RAJASTHAN HIGH COURT.

STEPS FOR FILLING UP ONLINE APPLICATION

STEP ONE:

- Log in to http://www.hcraj.nic.in
- Click on link "Recruitment" provided on the home page.
- Click on it open a new link "Recruitment ".
- This will open a page of various Recruitments.
- Now click on "Stenographers for District Courts and DLSAs 2025" link.
- Then Click on "Online Application Portal".

STEP TWO:

- Online Application Portal.
- Applicants have two Options as "Login" and "Registration Now".
- First time user click on "Registration Now".
- Before/During Registration applicant is required to verify his/her Mobile Number by OTP.
- Username must be minimum five characters.
- Password should be between 7 to 15 characters and must contain at least one numeric digit and one special character.
- Applicant must have completed his/her "Registration" before filling Online Application form (All Fields are mandatory in the Registration Form).
- "After the successful Registration Applicant will receive SMS of his / her USERNAME on registered Mobile Number."

Note: "Applicants are advised to remember their "Username" and "Password" for further Process".

STEP THREE:

- After successful registration, applicant can fill Online Application Form.
- For filling online application form, Applicants have to use Credentials i.e. USERNAME & PASSWORD.
- "Successful saving of Online Application form doesn't mean the Successful Submission of Form."


STEP FOUR:

- After the saving the filled in Online Application Form successfully, Applicant must have to deposit requisite Fee by Click on "*Make Payment*" Option.
- Mode of payment will be online only.
- Due to any reason, applicant fails to deposit the fees then applicants have option as "*Make Payment*" at their Home Page. They can "*LOGIN*" by using their Credentials.
- "After successful payment of fees, Applicant will receive SMS on his / her registered Mobile Number."
- Applicant may download his/her application form with the help of option "Print Application" at Home Page"
- "If the Online Application Form is not submitted successfully, Applicant will not be able to get the Printout of Application form".


USER MANUAL

Direct Recruitment to the post of Stenographer, 2025

1. Open the official website of RAJASTHAN HIGH COURT using the link https://hcraj.nic.in



2. Click on "Recruitment" Tab and Select "Recruitment" Option.



3. Select the link "Stenographers for District Courts and DLSAs 2025"



4. Select "Online Application Portal" Link



5. Click on "Register Now" option




Site Developed, Maintained and Updated by Rajasthan High Court.



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Direct Recruitment Under Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986



Note:-

- i) For filling online application form, Applicant must have registered.
- ii) If already registered, then applicant can login by clicking Login Button. Fill all the details in **Registration Form** & Click on **Register** Button


Note:-

- i) Fill in all the details correctly; details once saved will not be changed.
- ii) Please remember Username & Password, entered in Registration Form.
- iii) After entering Mobile Number click on **Verify** Button for verification using OTP. OTP will be received on the mobile no. entered. Enter the received OTP in the text box and Click on **Verify Now** button.
- iv) After successful registration, the user will receive SMS on the registered Mobile no.
- 6. After Successful Registration, Home page will be displayed. On Home Page, following screen will be displayed. Applicant who wishes to fill online form for the post of Stenographer-Hindi, click on Fill Form-Stenographer (Hindi) given below Stenographer-Hindi (in Green Title) and applicant who wishes to apply for the post of Stenographer- English should click on Fill Form-Stenographer (English) given below Stenographer-English (in Yellow Title).



RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Direct Recruitment Under Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986



Site Developed, Maintained and Updated by Rajasthan High Court.




RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Direct Recruitment Under Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986

Your Session Expires in : 28:05

Recruitment to the post of Stenographer (Hindi), 2025 Online Application Form


1. Applicant Details						
(1.1) Applicant's Name :*		(1.2) Father's Name:*		(1.3) Mother's Name:*		
AAA		BBB		CCC		
(1.4) Gender :*		(1.5) Marital Status : *		(1.6) Bonafide Residen	t of:*	
Male	~	Select	~	Select		~
(1.7) Nationality :*		(1.8) Area :*		(1.9) Home District :*		
Select	~	Select	~	Select		~
(1.10) Date of Birth (DD-MM-YYYY) : *		(1.11) Age as on (01-01-20	026) :*			
02-01-1980		45 years, 11 months, 30	days.			
(1.12.A) No. of Children Born On or Before 06/07/	2010	(1.12.B) No. of Children Bo	orn After 06/07/2010	(1.12.C) Total No. of Ch	nildren	
0	~	0	~	0		
2. Category Details						
(2.1) Category*		(2.2) Certificate No.*		(2.3) Certificate Date*		
Select	•	(E.E) certificate 146.		DD-MM-YYYY		
30.000				DD 11111		
3. Special Categories						
	(3.2) Categor	ry of Disability :*				
Select 🗸	Select					~
(3.3) Employee serving in connection wit	th the affairs	of the State in a substantiv	re or in a temporary capac	ity:*	Select	~
(3.4) Reservists (Defence Service Personn	nel) · *					
	ici) .				Select	~
(3.5) Ex Serviceman : *					Select	~
4. Address Details						
(4.1) Address :*						
(4.2) City/Village :*		(4.3) District :*		(4.4) Pincode :*		
(4.5) State/U.T.:*			(4.6) Phone No. (With STI	Code):		
Select		•				
(4.7) Mobile No. :*			(4.8) Email-ID :*			
9928154466			vermalj@gmail.com			
5. Educational Qualifications						
Name of Examination		Board / University / Institu	ution	Year of Passing	Div./Grade	
		Board / Oniversity / Institu	udon	real of Passing	Div./Grade	
(5.1) Secondary *				Select	Y	
(5.2) Sr. Sec./ Hr. Sec. *				Select	~	
(5.3) Computer Course *	Select		~	Select	~	
6. Other Information						
(6.1) Do you have more than one spouse	· living?				Select	~
(6.2) Have you accepted Dowry in your n	narriage?					
		'' P ' - 2			Select	~
(6.3) Are you married to the person havi	ng already a	wire living?			Select	~
(6.4) Whether any First Information Repo	ort (FIR) has e	ever been lodged against y	ou?		Select	~
(6.5) Have you ever been convicted for a	ny offence ir	nvolving moral turpitude or	any other offence by a C	ourt of Law?	Select	~
(6.6) Have you been permanently debarr	ed or disqua	alified from appearing in an	y examination?		Select	~



7. Fill all the details in the Online Application Form and Click on "Save & Make Payment" Button.

8. Note:-

- i) Please fill all the details carefully. Details once saved, no change in the filled-in information by the applicant, shall be allowed after clicking on "Save & Make Payment" button in any case.
- ii) Please check all the details before clicking on "Save & Make Payment" Button.
- iii) Successful filling of Online Application form doesn't mean the Successful Submission of Form.
- 9. After clicking on "Save & Make Payment" button, the following popup will appear.




10. If you are satisfied with the details filled in the form then you can make the payment by clicking on the OK button, otherwise you can make necessary corrections in the details filled in the form by clicking on the cancel button.

- 11. After clicking on OK button, the applicant is redirect to submit the requisite fees payment option.
- 12. Wait for few seconds & check information.



13. Fee Payment Getaway.



- 14. After successful submission of payment, the user is advised to **download & take the printout of Online Application Form** for future reference using "**Print Form**" option.
- 15. If the Online Application Form is not submitted successfully, then the Applicant will not be able to download & take Printout of Online Application form.